–:: निविदा की शर्तें ::–

(1) निविदा की कार्यवाही मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित–2022) के प्रावधान के अंतर्गत ई–टेण्डर के माध्यम से की जाएगी।

(2) निविदा से संबधित आवश्यक जानकारी वेबसाईट WWW.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 05 लाख तक रू. 500 एवं 05 लाख से अधिक रू. 1000, प्रति निविदा फार्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056–जेंले–800 अन्य प्राप्तियां में करना होगा।

(3) निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार अभिलेख प्रस्तुत करना होगा–

(I) आधार कार्ड एवं पेन कार्ड।

(II) निविदाकर्ता को प्रतिष्ठान का दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के तहत पंजीयन का वैध प्रमाण–पत्र।

(III) निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का CCTV कैमरा संबंधित उपकरणों एवं तकनीकी सह उपकरणों की खरीद फरोख्त तथा सुधार कार्य से संबंधित नगर पालिका/निगम/परिषद का व्यवसायिक लायसेंस प्रस्तुत करना होगा। यदि उक्त संस्थानों द्वारा लायसेंस प्रदाय नहीं किया जाता, तो इस संबंध में उक्त संस्था का व्यवसायिक लायसेंस जारी न करने के संबंध में स्पष्ट पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(IV) CCTV उपकरणों के रख–रखाव एवं इनके कार्य संबंधी तकनीकी विशेष ज्ञान रखने वाले एवं इस संबंध में किसी मान्यता प्राप्त अधिकृत संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को तकनीकी निविदा में प्राथमिकता दी जाएगी।

(V) जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र।

(VI) निविदा जारी होने की तिथि से विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न।

(VII) निविदा जारी होने की तिथि से विगत त्रैमासिक (Quarterly) अथवा मासिक जमा करने की स्थिति में पिछले तीन माह का जी.एस.टी. रिटर्न।

(VIII) निविदा शर्त 11 के अनुसार सी.ए. से प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र।

(IX) निविदा शर्त 10 के अनुसार शासकीय विभागों में विगत 03 वर्ष का सी.सी.टी.वी. सिस्टम संबंधी कार्य अनुभव। जेल विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य शासकीय विभाग का कम से कम एक वर्ष कार्य का अनुभव के अभिलेख।

(X) निविदाकार फर्म का नाम किसी भी विभाग में काली सूची (Blacklist) में नहीं होने का प्रमाण पत्र।

(4) निविदाकार की निविदा प्रपत्र पर सील, जिसमें फर्म का पूरा पता एवं विवरण हो, अंकित होना चाहिए **(परिष्टि–ए&बी)।**

(5) निविदा प्रपत्र मे चाही गई जानकारी स्पष्ट व सुवाच्य अक्षरों में उल्लेख की जानी चाहिए। अधूरी जानकारी वाली निविदा अपूर्ण मानी जाएगी तथा इस प्रकार की अपूर्ण निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

(6) फर्म का कार्यालय /सर्विस सेंटर का पूरा पता, संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता मोबाईल नम्बर सहित, निविदा में उल्लेखित होना चाहिए।

(7) तकनीकी मापदंड के रूप में संबंधित जेल पर स्थापित सर्विलेंस सिस्टम के CCTV कैमरो, सामग्री व सह उपकरण जेलों द्वारा जारी सूची अर्थात **(परिष्टि–सी)** का यथा स्थिति में निविदाकर्ता अवलोकन कर ले, ताकि बाद में उनके रख रखाव में कोई असमंजस/विवाद की स्थिति निर्मित न हो। इस हेतु संबंधित जेल पर कार्यालयीन समय 11 से 17 बजे तक दिनांक 22.05.26 तक संपर्क कर सर्वे कर सकते है।

(8) CCTV सर्विलेंस सिस्टम के रख रखाव हेतु निविदाकार फर्म का स्थानीय सर्विस सेंटर अथवा संबंधित जेल पर ऑन साईट सपोर्ट होना अनिवार्य है ताकि सिस्टम में खराबी आने पर फर्म के प्रतिनिधि आसानी से तुरंत उपलब्ध होकर ठीक कर सके। खराबी की स्थिति निर्मित न हो और सिस्टम बेरोकटोक निरंतर रूप से कार्य करता रहे, इस हेतु निविदाकार फर्म को सी.सी.टी.वी. तंत्र के समुचित रख रखाव के लिये निविदा के साथ एक नियोजित निवारक रख रखाव कार्ययोजना (Planned preventive Maintenance schedule) प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें इसकी संपूर्ण प्रक्रियां और परिशिष्ट–डी पर दी गई जानकारी का विस्तृत विवरण समाहित होगा। साथ ही निविदाकार निविदा के साथ एक वार्षिक कैलेन्डर परिशिष्ट–ई पर तालिका अनुसार प्रस्तुत करेंगे, जिसके सी.सी.टी.वी. तंत्र के प्रतत्येक उपकरण के लिये विभिन्न प्रकार की (पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्ध्दवार्षिक) निवारक रख रखाव गतिविधियों की आवश्यकता का विवरण उल्लेखित होगा।

(9) निविदा में फर्म की किसी भी प्रकार की अन्य शर्त मान्य नहीं होगी। अर्थात सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(10) फर्म का विगत 03 वर्ष का सी.सी.टी.वी. के प्रतिस्थापित करने या रख रखाव का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसमें से कम से कम 01 वर्ष का जेल विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी पुलिस इकाईयों/अर्द्धसैनिक बलों/शासकीय संस्थाओं में सी.सी.टी.वी. के रख रखाव संबंधी कार्य करने के कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें।

(11) निविदा करने वाली फर्म का पिछले 03 वित्तीय वर्ष का औसत टर्न ओव्हर रूपये 01 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए।

(12) सर्विलेंस सिस्टम के अंतर्गत जो भी उपकरण, कैमरे के द्वारा चित्र लेने से लेकर उसके टेलीविजन पर डिस्प्ले तक के मध्य में आते हैं, सभी ए.एम.सी. में सम्मिलित होंगे। इसमें विद्युत से लेकर सी.सी.टी.वी. उपकरण तक, इससे संबंधित विद्युत कार्य व उपकरण भी शामिल होंगे।

(13) सामान्य रख रखाव के अंतर्गत वर्तमान स्थिति में कार्य न करने वाले कैमरों व उपकरणों को नवीन लगाकर या मरम्मत कर पुनः चालू करना होगा। इसके अतिरिक्त समस्त टूट–फूट/खराबी, पूर्व से अथवा प्राकृतिक कारणों से आती है, ए.एम.सी. में शामिल होंगे।

(14) रखरखाव के अंतर्गत जो भी हिस्से कलपूर्जे लगाये जाएं वे भी ओरिजनल O.E.M. (original equipment manufacturer) के होने चाहिएं

(15) सर्विलेंस सिस्टम के सुधार में जो भी अतिरिक्त सामग्री लगेगी उसका व्यय भार फर्म को ही वहन करना होगा जिसका पृथक से भुगतान नहीं किया जाएगा।

(16) वार्षिक रखरखाव के संबंध में भुगतान, कार्य के उपरांत प्रति तिमाही की अंतिम तिथि के बाद किया जायेगा। प्रकरण एवं भुगतान प्रक्रिया में शासकीय व्यवधानों के कारण फर्म के भुगतान में विलंब भी हो सकता है। विलंब के लिए पृथक से भुगतान नहीं किया जाएगा।

(17) सफल निविदाकार को आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर स्थापित सभी कैमरों को दुरूस्त कर चालू हालत में करना होगा, अन्यथा ए.एम.सी. की संपूर्ण राशि का 0.2 प्रतिशत प्रति दिवस के मान से राशि का कटोत्रा किया जाएगा।

(18) ए.एम.सी. अवधि कें अंतर्गत यदि कैमरों का संपूर्ण डिस्प्ले बंद होता है और उसे 24 घंटे में नहीं सुधारा जाता, तो 24 घंटे पश्चात, ए.एम.सी. की संपूर्ण राशि का 0.5 प्रतिशत प्रति दिवस के मान से ए.एम.सी. की राशि का कटोत्रा किया जाएगा।

(19) अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत निविदाकार की सेवाएं संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में, अनुबंध तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस हेतु निविदाकार को परिशिष्ट–ई में पूर्व निविदा अवधि की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(20) सफल निविदाकार को मुख्यालय भोपाल द्वारा दिए गए प्रारूप के अनुसार वार्षिक अनुबंध पत्र रूपये 1 [illegible]0/– के नॉन ज्युडिशियल स्टैम्प पेपर पर नियमानुसार तैयार करवाकर देना होगा।

(21) निविदा की प्रतिभूति (ई.एम.डी.) निविदा मूल्य की 03 प्रतिशत जमा करना होगी। सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत प्रदाय आदेश जारी होने पर अनुबंध पत्र के साथ सामग्री के कुल मूल्य की [illegible]3 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट, बैंक गारंटी, सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगी जिसकी अवधि अनुबंध अवधि के 60 दिवस के बाद तक वैध होना चाहिए।

(22) संदर्भित सर्विलेंस सिस्टम की किसी भी सामग्री को संबंधित स्थान से मरम्मत हेतु बाहर ले जाने के पूर्व, उसके बदले मे मरम्मत होने तक स्टैंड बाय सामग्री देनी होगी, जिससे कि सिस्टम यथावत चालू रहे।

(23) संदर्भित सर्विलेंस सिस्टम की किसी भी सामग्री को मरम्मत हेतु संबंधित स्थान से ले जाने एवं लाने के लिए किसी प्रकार का किराया फर्म को भुगतान नहीं किया जाएगा। संदर्भित सर्विलेंस सिस्टम की किसी भी सामग्री के मरम्मत हेतु अधिकतर उपयोंग में आने वाले कैमरा, रेडियो लिंक, डिवाइस तथा अन्य उपकरणों के स्पेयर कॉम्पोनेन्टस की सूची उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा एवं इस सूची अनुसार स्थानीय सर्विस सेंटर अथवा संबंधित जेल साईट पर स्टैंड बाय स्टॉक रखा जाना आवश्यक है।

(24) यदि PTZ अथवा फिक्स कैमरों के सामने कोई व्यवधान उत्पन्न होता है जिसके कारण कैमरे की क्षमता पर असर आता है तो उसे दूर करने की जवाबदारी निविदाकर्ता फर्म की होगी।

(25) यदि किसी कारण से कैमरे को हटाया जा कर पुनः प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसका अलग से शुल्क देय नहीं होगा। कैमरे को प्रतिस्थापित करने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।

(26) निविदा बिना कारण बताये पूर्णतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को होगा। इस संबंध मे पत्राचार स्वीकार किया जाएगा।

(27) अनुबंध होने के पश्चात यदि निविदाकर्ता फर्म द्वारा सर्विलेंस सिस्टम के रखरखाव संबंधी कार्य बिना किसी कारण के बीच में बंद किया जाता है तो एक तरफा कार्यवाही करते हुए फर्म की धरोहर रशि राजसात की जाएगी। उसके द्वारा किये गए कार्यों का भुगतान नहीं किया जाएगा। वार्षिक रख रखाव अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। उस फर्म का नाम काली सूची में अंकित किया जाएगा, जिसके पूर्ण अधिकार महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को होंगे।

(28) जेल अधीक्षक के आदेश से व्यथित कोई भी निविदाकर जेल महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को अपील कर सकेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(29) वित्तीय निविदा में दर्शायी गयी राशि सभी करों सहित होनी चाहिए।

(30) सी.सी.टी.वी. उपकरणों के रख–रखाव मे निविदाकार द्वारा जिन कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी, उन्हें सुरक्षा हेतु आवश्यक सुरक्षा– उपकरण उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित निविदाकार का होगा। सी.सी.टी.वी. उपकरणों के रख–रखाव के दौरान यदि कोई घटना–घटित होती है, तो कर्मचारियों की सुरक्षा एवं दायित्वों की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

(31) निविदाकार द्वारा सी.सी.टी.वी. उपकरणों के रख–रखाव हेतु सर्विस देने वाले कर्मचारियों का पुलिस–वेरीफिकेशन कराना होगा, इस हेतु निविदा स्वीकृत होने के पश्चात जो भी कर्मचारी जेल पर भेजे जाएंगे, उन कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(32) प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम,1894 की धारा–10 एवं जेल मुख्यालय मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट–3/दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र अ एवं ब में 200 रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पर मूल प्रति में नोटरी द्वारा प्रमाणित पृथक–पृथक शपथ पत्र भी आवश्यक रूप से दिया जाएगा। शपथ पत्र के अभाव में निनिवदा मान्य नहीं होंगी। शपथ पत्र का प्रारूप ऑनलाईन www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल बड़वानी (म.प्र)

शपथ पत्र-अ

(कारागार अधिनियम 1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं ....जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल..............................के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म.............................. की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म..........................के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश में जेल विभाग में किसी भी स्थान पर किसी भी तरह के पद पर नियोजित नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

शपथ पत्र-ब

(जेल मुख्यालय म.प्र.भोपाल के परिपत्र क्रमांक 05/बारह-3 ब.मु./2015/भोपाल दिनांक 28.01.2015)

मैं.............................जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल .... के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म ....की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म..........................के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जमानत पर रिहा नहीं है ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by VINAY KABRA
Date: 2026.05.06 13:58:23 IST
Location: Madhya Pradesh-MP